

विवरणी

21.08.2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार ~~भोरा गाँव~~

पिता - ~~हरण गाँव, ग्राम - समसेरा~~ को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार ~~के~~ ~~व्यं~~ ~~भोरा गाँव~~

द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~समसेरा, खाता सं० 251~~ का लगन रसीद वर्ष ~~X~~ का लगन रसीद

~~को~~ ~~सं०~~ ~~रकबा 0.05 ए० भूमिका~~ वर्ष ~~X~~ का लगन रसीद प्राप्त किया गया। सुनवाई के दौरान ~~भोरा गाँव~~ ने अपना लिखित इप में ~~अवैध~~ ~~दिया~~ है कि उनके पास ~~लगन रसीद~~ के ~~अतिरिक्त~~ ~~विषयगत~~ भूमि से ~~संबंधित~~ ~~कोई~~ ~~कागजात~~ ~~नहीं~~ है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।


राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार ~~उक्त~~ ~~लिप्या~~ ~~संख्या~~ ~~इस~~ ~~नहीं~~ है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ~~भोरा गाँव~~


पिता - ~~हरण गाँव, ग्राम - समसेरा~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी

संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसेरा	67	251	—	0.05 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1990 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

 अंचल अधिकारी,
 बोलवा।


 अंचल अधिकारी,
 बोलवा।